राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेलरोड, भोपाल

क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2021 / 444

भोपाल दिनांकः 28/09/2021

प्रति,

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश।

विषयः– कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन दिनांक 01/10/2021 से 89 दिवस तक रखने हेतु स्वीकृति ।

संर्दभः– 1 एनएचएम के परिपत्र क्र./एनएचएम/एचआर/सेल–1/2021/ 13681 दिनांक 09/09/2021
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की टीप क्र 604/डीएमई/कोविड–19/2021, दिनांक 17/09/2021 एवं पुनरीक्षित प्रस्ताव दिनांक 27/09/2021

उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्र–1 के माध्यम से कोविड –19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्व चिकित्सालयों हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं में अस्थायी मानव संसाधन को रखने हेतु युक्तिसंगत आंकलन करते हुये आवश्यक मानव संसाधन को रखे जाने हेतु प्रस्ताव चाहे गये थे।

कोविड –19 महामारी की रोकथाम हेतु भेजे गये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता होने संबंधी आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की संदर्भित टीप एवं पुनरीक्षित प्रस्ताव के संदर्भ में दिनांक 01/10/2021 से 89 दिवस तक संलग्न पत्रक अनुसार स्वीकृत पदों के अनुरूप आवश्यकता के आंकलन उपरान्त अस्थायी रूप से रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह भी अवगत कराया जाता है कि स्वीकृत पदों से अतिरिक्त अस्थायी मानव संसाधन ना रखा जावे एवं स्वीकृत पदों को आवश्यकता अनुसार अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में परिवर्तन अपने स्तर से किया जा सकेगा तथा मानव संसाधन की आवश्यकता न होने की स्थिति अनावश्यक रूप से मानव संसाधन पदस्थ ना किया जावे।

चिकित्सा महाविद्यालयों को कोविड –19 के अन्तर्गत अस्थायी मानव संसाधन के रूप में जिन संवर्गो के अधिकारी/कर्मचारी अस्थायी रूप से पदस्थ करने की अनुमति प्रदान की गई है, उनके मानदेय आदि ECRP-II अन्तर्गत बजट से भुगतान किया जा सकेगा।

अ– जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. पीजीएमओ (रेसिडेंन्ट)
2. यू.जी.(इर्न्टन)
3. एम.बी.बी.एस. (अंतिम वर्ष के विद्यार्थी)
4. जी.एन.एम. नर्सिंग (अंतिम वर्ष के विद्यार्थी)
5. बी. एस.सी. नर्सिंग (अंतिम वर्ष के विद्यार्थी)

ब– शेष अस्थायी मानव संसाधन को मानदेय आदि राज्य बजट कोविड–19 के अन्तर्गत मद से विकलनीय होगा।

निरन्तर..................

अतिरिक्त मानव संसाधन पर होने वाले मासिक मानदेय आहरण हेतु बजट आवंटन के प्रस्ताव संचालक, वित्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रेषित किये जावे। अस्थायी मानव संसाधन की स्वीकृति दिनांक से 89 दिवस उपरान्त स्वतः स्वीकृति समाप्त हो जावेगी।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक: 28/09/2021

क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2021 / 444

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा,मत्रांलय भोपाल।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. ।
5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
6. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
7. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम. म.प्र.।
8. संचालक, एन.एच.एम.,म.प्र.।
9. संचालक वित्त, एन.एच.एम. ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्रक अनुसार मासिक मानदेय आहरण हेतु बजट राशि संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय की मांग के आधार पर आवंटित किया जावे।
10. उप संचालक आई.टी एनएचएम की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश